



भारतीय रिजर्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआई/2010-11/48

शबैवि.एलएस (पीसीबी).एमसी.सं.14 /07.01.00/2010-11

01 जुलाई 2010

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय/महोदया

परिचालन क्षेत्र, शाखा प्राधिकरण नीति, विस्तार पटलों का खोला जाना /स्तरोन्यन, एटीएम तथा कार्यालयों का स्थानांतरण / विभाजन / बंद किया जाना पर मास्टर परिपत्र

कृपया उपर्युक्त विषय पर 01 जुलाई 2008 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि.बीएल (पीसीबी) एमसी.सं. 14 /07.01.00/2009-10 देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2010 तक विषय पर जारी सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है।

2. कृपया इस मास्टर परिपत्र की प्राप्ति-सूचना इस विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीया

(श्रीमती उमा शंकर)

मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

शहरी बैंक विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, पहली मंजिल, डॉ.ए.बी.रोड़, वरली, मुंबई - 400 018,
भारत

फोन: 022 - 2493 9930 - 49; फैक्स: 022 - 2497 4030 / 2492 0231; ई मेल: rbiubdco@rbi.org.in

Urban Banks Department, Central Office, Garment House, 1 Floor, Dr.A.B.Road, Worli, Mumbai - 400018, India

Phone: 022 - 2493 9930 - 49; Fax: 022 - 2497 4030 / 2492 0231; Email: rbiubdco@rbi.org.in

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

मास्टर परिपत्र

परिचालन क्षेत्र,
शाखा प्राधिकरण नीति,
विस्तार पटलों का खोला जाना / स्तरोन्नयन, एटीएम तथा
कार्यालयों का स्थानांतरण / विभाजन / बंद किया जाना

विषय-वस्तु

1.	परिचालन क्षेत्र	1
1.1	परिचय	1
1.2	विनियामक अपेक्षाएँ	1
1.2.1	पंजीकरण के जिले या इससे सहलग्न जिलों के भीतर परिचालन क्षेत्र का विस्तार	1
1.2.2	सहलग्न जिलों तथा पंजीकरण के पूरे राज्य तक परिचालन क्षेत्र का विस्तार	1
1.2.3	पंजीकरण राज्य के बाहर परिचालन क्षेत्र में विस्तार तथा बहुराज्यीय अर्बन को-आपरेटिव बैंक के परिचालन क्षेत्र का विस्तार	2
2.	शाखा प्राधिकरण नीति	2
2.1	परिचय	2
2.2	प्राधिकरण नीति	2
2.2.1	पात्रता संबंधी मानदंड	2
2.2.2	केंद्र चुनने की प्रक्रिया	3
2.2.3	केंद्र के लिए अनुमोदन	4
2.2.4	प्राधिकरण तथा उसकी वैधता अवधि	4
2.2.5	भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकरण के बिना शाखा खोलना धारा 23 का उल्लंघन है	5
2.2.6	भारतीय रिजर्व बैंक को गलत सूचना प्रस्तुत करने के मामले में दण्डात्मक कार्रवाई	5
2.3	शाखाएँ खोलने की अनुमति के लिए क्रियाविधिगत दिशानिर्देश	5
3.	विस्तार पटल खोलना / उनका स्तरोन्नयन	5
3.1	पात्रता संबंधी मानदंड तथा आवेदन प्रक्रिया	5
3.2	नीतिगत दृष्टिकोण	5
3.3	विस्तार पटल खोलने के लिए पात्रता संबंधी मानदंड	5
3.4	विस्तार पटलों में सुरक्षित जमा लाकरों की सुविधा	6
3.5	विस्तार पटलों का पूर्ण विकसित शाखाओं में स्तरोन्नयन	6
4.	स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)	6
4.1	ऑन-साइट एटीएम	6
4.2	ऑफ-साइट एटीएम	6
5.	कार्यालयों का स्थलांतरण / विभाजन / बंद किया जाना	7
5.1	कार्यालयों का स्थानांतरण	7
5.1.1	अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित शहरी सहकारी बैंकों का उसी कर्से में स्थानांतरण और बैंक यदि महानगरीय क्षेत्र में स्थित हो तो उसी क्षेत्र/नगरपालिका वार्ड के भीतर स्थानांतरण	7
5.1.2	अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित शहरी सहकारी बैंकों का किसी दूसरे कर्से में स्थानांतरण और यदि महानगरीय क्षेत्र में स्थित हो तो उसी क्षेत्र/नगरपालिका वार्ड के बाहर स्थानांतरण	7
5.1.3	शाखाओं का एक शहर से दूसरे शहर में स्थानांतरण	7
5.2	शाखाओं का उसी क्षेत्र/नगरपालिका वार्ड के भीतर विभाजन अथवा आंशिक विभाजन	8
5.3	शाखाओं एवं विस्तार पटलों को बंद करना	8

6.	ग्रेड III/IV के रूप में वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंक - पट्टाकृत परिसरों स्थानांतरण, अधिग्रहण, सुपुर्दगी आदि	9
7.	वेतनभोगी बैंकों के लिए प्राधिकरण नीति	9
8.	सूचना प्रस्तुत करना	9
9.	निदेशक मण्डल का संकल्प	10
10.	शाखा बैंकिंग सांखियकी - तिमाही विवरणियों की प्रस्तुति	10
11.	प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा अपने उपयोग (अर्थात् कार्यालय तथा स्टाफ के आवास के लिए) के लिए पट्टे/किराए पर स्थान/जगह का अभिग्रहण अनुबंध I- प्रवेश बिंदु मानदंड	12
	अनुबंध II - बैंक का प्रोफाइल	13
	अनुबंध III - लेखा-परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार वित्तीय स्थिति	14
	अनुबंध IV - शाखाएं खोलने के लिए कार्य योजना का अनुमोदन करने वाला निदेशक मण्डल का निर्णय तथा उन केंद्रों का विवरण जहां बैंक द्वारा शाखाएं खोलना प्रस्तावित है	15
	अनुबंध V - ऑफ-साइट ए टी एम खालने की योजना का अनुमोदन करने वाला निदेशक मण्डल का निर्णय तथा उन केंद्रों का विवरण जहां बैंक द्वारा ऑफ-साइट ए टी एम खोलना प्रस्तावित है	16
	अनुबंध VI - वार्षिक व्यवसाय योजना के साथ प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएं	17
	अनुबंध VII - ऑफ साइट एटीएम के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी	18
	अनुबंध VIII - ऑफ साइट एटीएम के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी	19
	अनुबंध IX - एटीएम-सह -डेबिट कार्ड जारी करने तथा उनके परिचालन संबंधी सूचना देने का प्रारूप	20
	अनुबंध X - ऐसे मामलों में किसी शहरी सहकारी बैंक द्वारा कार्यालय के स्थानांतरण पर रिपोर्ट जहां भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति अपेक्षित नहीं है	21
	अनुबंध XI - शहरी सहकारी बैंक द्वारा भिन्न मुहल्ले / नगरपालिका वार्ड में स्थानांतरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रारूप	23
	अनुबंध XII - शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपने कार्यालयों के स्थानांतरण, मौजूदा परिसर की बिक्री / सुपुर्दगी अथवा स्वामित्व आदि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के लिए आवेदन का प्रारूप	26
	- अनुबंध XIII - उन शाखाओं /कार्यालयों के ब्यौरे जहां पट्टे केराए	30
	आधार पर परिसर के अभिग्रहण से संबंधित विवाद है	
	परिशिष्ट I - मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	31

मास्टर परिपत्र

परिचालन क्षेत्र

शाखा प्राधिकरण

**विस्तार पटलों का खोला जाना / स्तरोन्नयन, एटीएम तथा
कार्यालयों का स्थानांतरण / विभाजन / बंद किया जाना**

1. परिचालन क्षेत्र

परिचय

किसी भी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक का परिचालन क्षेत्र का तात्पर्य पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उसके उप-नियमों के अनुसार परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र / क्षेत्रों है। शहरी सहकारी बैंक साधारण सभा द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से तथा संशोधित उप-नियमों को निबंधक, सहकारी सोसायटियां के पास पंजीकृत करवाकर अपने परिचालन क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं । इस प्रकार के परिशोधन के लिए, जहां लागू होता हो, बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति (अनापत्ति प्रमाणपत्र) प्राप्त करना आवश्यक है।

1.2 विनियामक अपेक्षाएं

1.2.1 पंजीकरण जिले के भीतर तथा पंजीकरण राज्य के भीतर सहलग्न जिलों तक परिचालन क्षेत्र का विस्तार :

1.2.1.1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रेड I के रूप वर्गीकृत किए गए टियर I और टियर IIलाइसेंसीकृत शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लिए बिना पंजीकरण के पूरे जिले तथा पंजीकरण राज्य के भीतर आसपास के जिलों तक अपने परिचालन क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं।

1.2.1.2. तदनुसार, जैसा कि पर बताया गया है, पात्र बैंकों को परिचालन क्षेत्र के विस्तार के लिए ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसे बैंक पंजीकरण के संपूर्ण जिले तथा पंजीकरण के राज्य के भीतर आस-पास के जिलों तक अपने परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सीधे संबंधित राज्य के निबंधक, सहकारी सोसायटियां से संपर्क करें।

1.2.2 सहलग्न जिलों तथा पंजीकरण राज्य से बाहर तक परिचालन क्षेत्र का विस्तार करना

सुदृढ़ तथा सुसंचालित एक राज्यीय टियर II शहरी सहकारी बैंक उनके परिचालन क्षेत्र का विस्तार सहलग्न जिलों से बाहर तथा पंजीकरण राज्य तक कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए राज्यों में पंजीकृत लाइसेंस प्राप्त टियर II शहरी सहकारी बैंक जिन्हें पिछले सांविधिक निरीक्षण में ग्रेड I के रूप में वर्गीकृत किया है तथा /या अद्यतन लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार जिनकी वित्तीय स्थिति ग्रेड I बैंक के अनुरूप है ऐसे बैंकों से संपूर्ण राज्य में परिचालन क्षेत्र में विस्तार के लिए प्राप्त अनुरोधों पर भारतीय रिजर्व बैंक विचार करेगा । इस प्रकार के आवेदनों पर विचार करते समय आंतरिक नियंत्रण तथा

पर्यवेक्षी सहूलियत पर ध्यान दिया जाएगा। अपने परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने के इच्छुक शहरी सहकारी बैंक पूर्वानुमोदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।

1.2.2.1 अनुबंध 1 में बताए गए अनुसार एक सामान्य श्रेणी का कोई बहुशाखी बैंक गठित करने के लिए बैंक की स्वाधिकृत निधियां (शेयर पूँजी + मुक्त प्रारक्षित निधियां) उस जिले (जिलों) में उच्चतम श्रेणी केंद्र हेतु निर्धारित प्रवेश बिंदु पूँजी संबंधी मानदंड से कम नहीं होनी चाहिए।

1.2.2.2 शहरी सहकारी बैंकों को टियर I तथा टियर II बैंकों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आगे से 07 मार्च

2008 के परिपत्र शबैवि (पीसीबी) .परि.सं.35 /09.20.001/2007-08 में दिए गए अनुदेशों का

अधिक्रमण करते हुए सभी विनियामक प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित परिभाषा ग्रहण की जाए :

(क) टियर I बैंक :

- (i) ऐसे बैंक जिनकी जमाराशि 100 करोड रुपये से कम हो और वे एकमात्र जिले में परिचालित हों,
- (ii) ऐसे बैंक जिनकी जमाराशि 100 करोड रुपये से कम हो और जो एक से अधिक जिलों में परिचालित हों, को टियर I बैंक तभी माना जाएगा बशर्ते शाखाएं सटे हुए जिलों में हों तथा किसी एक जिले की शाखाओं की जमाराशियां एवं अग्रिम बैंक की अलग-अलग क्रमशः कुल जमाराशियों एवं अग्रिमों का कम से कम 95% हों, तथा
- (iii) ऐसे बैंक जिनकी जमाराशि 100 करोड रुपये से कम हो और जिसकी शाखाएं मूल रूप से एक ही जिले में थीं लेकिन बाद में वे बैंक जिले के पुनर्गठन के कारण बहु-जनपदीय हो गए हों, को भी टियर I बैंक माना जाए।

(ख) टियर II बैंक : सभी अन्य बैंक

1.2.2.2 उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार जमाराशि तथा अग्रिमों की गणना ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार की जाए।

1.2.3 पंजीकरण राज्य से बाहर परिचालन क्षेत्र का विस्तार तथा बहुराज्यीय अर्बन को-आपरेटिव

बैंक के परिचालन क्षेत्र का विस्तार

1.2.4 वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक जिस राज्य में पंजीकृत है उससे बाहर तथा बहुराज्यीय अर्बन को-

आपरेटिव बैंकों के परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अनुमति नहीं है।

2. शाखा प्राधिकरण नीति

- 2.1 प्रस्तावना**
- वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्यों के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके राज्यों के तथा बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत सुव्यवस्थित तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसीकरण संबंधी मानदंडों को उदार एवं युक्तियुक्त बनाया जाए।
मौजूदा नीति नीचे के पैराग्राफों में दी गई है:
- 2.2 प्राधिकरण नीति**
- 2.2.1 पात्रता संबंधी मानदंड**
- रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके राज्यों के तथा बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत सुव्यवस्थित तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंक वार्षिक व्यवसाय योजना (एबीपी) के आधार पर शाखा विस्तार से संबंधित अपने प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। वार्षिक व्यवसाय योजना 12 महीने की अवधि के लिए होगी जो अगले वर्ष के 01 अप्रैल से प्रारंभ होगी। केंद्रों के आबंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पहले बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे एक-दूसरे से पृथक निम्नलिखित कार्य-निष्पादन/वित्तीय मानदंडों को पूरा करते हैं:
- 2.2.1.1 सतत आधार पर न्यूनतम 10% सी आर ए आर तथा जिस केंद्र पर शाखा प्रस्तावित है उस केंद्र के लिए अपेक्षित प्रवेश बिंदु पूँजी संबंधी मानदंड के माफिक न्यूनतम स्वाधिकृत निधियां बनायी रखी जाएं। (विभिन्न श्रेणियों के शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रवेश बिंदु संबंधी मानदंड अनुबंध I में दिए गए हैं।)
 - 2.2.1.2 निवल एन पी ए 10% से कम हो
 - 2.2.1.3 पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान सी आर आर / एस एल आर बनाए रखने में कोई चूक न हुई हो
 - 2.2.1.4 ठीक पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में निवल लाभ तथा
 - 2.2.1.5 अन्य बातों के साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों तथा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / निदेशों के अनुपालन के ट्रैक रेकॉर्ड के आधार पर विनियामकीय संतुष्टि।
 - 2.2.1.6 जिन बैंकों को इकाई बैंकों के स्प में गठित किया गया है तथा जिन्हें अनुबंध 1 के अनुसार प्रवेश बिंदु पूँजी के अंतर्गत छूट दी गई है, वे उस स्थान पर जहां बैंक गठित किया गया था या जहां शाखा खोली जानी है वहां सामान्य श्रेणी का एक नया बैंक खोलने के लिए उस आवश्यक स्तर तक, जो भी अधिक हो, अपनी निधियों में वृद्धि करने के बाद ही शाखाएं खोलने के लिए पात्र होंगे। उदाहरणार्थ, यदि किसी यूनिट बैंक का गठन श्रेणी ‘घ’ केंद्र पर किया गया था तथा वह श्रेणी ‘ख’ केंद्र पर अपनी कोई शाखा खोलना चाहता है तो इस प्रकार के बैंक की स्वाधिकृत निधियों को अनिवार्य रूप से ‘ख’ श्रेणी केंद्र पर सामान्य श्रेणी के बैंक के संगठन के लिए निर्धारित प्रवेश बिंदु पूँजी तक बढ़ाया जाना चाहिए।
 - 2.2.1.7 इसी प्रकार, किसी यूनिट बैंक के अलावा कोई बैंक यदि अपने पंजीकरण जिले के भीतर जहां वह स्थापित किया गया था, से किसी उच्चतर श्रेणी केंद्र पर कोई शाखा

खोलना चाहता है तो उस बैंक की स्वाधिकृत निधियां कम से कम उस केंद्र के लिए निर्धारित प्रवेश बिंदु पूँजी के बराबर होनी चाहिए । उदाहरण के लिए यदि ‘ग’ श्रेणी केंद्र में स्थित कोई बैंक उसी जिले में ‘ख’ श्रेणी केंद्र पर कोई शाखा खोलना चाहता है तो उसकी स्वाधिकृत निधियां ‘ख’ श्रेणी केंद्र के लिए निर्धारित प्रवेश बिंदु पूँजी के बराबर होनी चाहिए ।

2.2.1.8 तथापि, कोई प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जो पंजीकरण के अपने जिले के अलावा लेकिन पंजीकरण राज्य के भीतर किसी केंद्र पर शाखा खोलना चाहता है, की स्वाधिकृत निधियां उस राज्य में उच्चतम श्रेणी केंद्र पर किसी नए सामान्य श्रेणी के प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक के गठन के लिए आवश्यक प्रवेश बिंदु पूँजी से कम नहीं होनी चाहिए । उदाहरणार्थ, यदि जिला ‘क्ष’ में पंजीकृत कोई बैंक पंजीकरण के राज्य के भीतर जिला ‘त्र’ में अपनी शाखा खोलना चाहता है तो उसकी स्वाधिकृत निधियां उस राज्य में उच्चतम श्रेणी केंद्र पर आवश्यक प्रवेश बिंदु पूँजी से कम नहीं होनी चाहिए ।

2.2.2 केंद्रों के चयन की प्रक्रिया

उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंक अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से अगले 12 महीनों में अपने परिचालन के मौजूदा क्षेत्र में शाखाएं खोलने (विस्तार पटलों, विस्तार पटलों का पूर्णविकसित शाखाओं में स्तरोन्नयन तथा स्वचालित टेलर मशीनों की स्थापना सहित) के लिए वार्षिक व्यवसाय योजना (एबीपी) बनाएं और वार्षिक व्यवसाय योजना को दो प्रतियों में अनुबंध **II, III, IV** तथा **VI** सहित भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करें। वार्षिक व्यवसाय योजना अधिमानतः पिछले वित्त वर्ष के दिसंबर माह के अंत तक प्रस्तुत कर दी जाए ।

2.2.2.1 जहां बैंकों ने निर्धारित मानदंडों का अनुपालन किए बगैर विस्तार पटल खोल लिये हैं और उसके बाद स्वयंपूर्ण शाखाओं में उनके उन्नयन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करते हैं, वहां ऐसे बैंकों को तब तक केंद्रों का आबंटन नहीं किया जाएगा जब तक कि वे अनधिकृत विस्तार पटलों को बंद नहीं कर देते । इसके अतिरिक्त, जिस केंद्र पर किसी बैंक ने कोई अनधिकृत विस्तार पटल खोल लिया है उस केंद्र पर भविष्य में उसकी कोई शाखा खोले जाने के बारे में विचार नहीं किया जाएगा ।

2.2.2.2 उपर्युक्त पैराग्राफ 2.2.1 में दर्शाए गए मानदंडों का अनुपालन करने वाले अनुसूचित बैंक मोबाइल / सैटलाइट कार्यालय खोल सकते हैं । मोबाइल/सैटलाइट कार्यालय खोलने के इच्छुक अनुसूचित बैंक इस परिपत्र के साथ संलग्न अनुबंध **IV** में दिए गए प्रारूप में अपनी इच्छा बताते हुए उसे उन केंद्रों के नाम के साथ जहां शाखाएं खोलना चाहते हैं, प्रस्तुत कर दें ।

2.2.2.3 बैंकों को अपनी वार्षिक व्यवसाय योजना में प्रस्तावित शाखा का सही- सही पता दर्शाने की जरूरत नहीं है । वे अपने परिचालन क्षेत्र के भीतर अपनी वरीयता के क्रम में नगर/शहर का केवल नाम दर्शाएं जहां वे शाखाएं खोलना चाहते हैं । जिन केंद्रों पर बैंक शाखाएं खोलना चाहते हैं उनका चयन केंद्रों की व्यापारिक संभावनाओं तथा वहां परिसर की उपलब्धता पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद ही करना चाहिए ।

- 2.2.2.4 जहां कोई बैंक वार्षिक व्यवसाय योजना के अंतर्गत शाखाएं खोलना चाहता है वहां उन समस्त केंद्रों की सूची का उल्लेख इस परिपत्र के साथ संलग्न अनुबंध IV में दिए गए प्रारूप में किया जाना चाहिए एवं केवल एक आवेदन भेजा जाना चाहिए। बैंक उन विवरणों/अनुबंधों को न भेजें जो अपेक्षित नहीं हैं/मांगे नहीं गये हैं। वे अद्यतन एवं लेखा परीक्षित तुलन पत्र (31 मार्च तक का) की एक प्रमाणित प्रति या बैंक की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति के साथ केवल अपेक्षित सूचना/आँकड़े प्रस्तुत करें।
- 2.2.3 **केंद्रों के लिए अनुमोदन**
निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले बैंकों को केंद्रों का आबंटन पूर्णतः उनके द्वारा दी गई वरीयता के क्रमानुसार किया जाएगा। तथापि, एक बार केंद्र आबंटित हो जाने के बाद आबंटित केंद्र में परिवर्तन हेतु किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 2.2.4 **प्राधिकार जारी करना तथा उसकी वैधता अवधि**
- 2.2.4.1 विस्तार पटलों, ऑफ-साइट एटीएम सहित व्यवसाय के नए स्थान खोलने अथवा व्यवसाय के किसी मौजूदा स्थान (पैरा 5.1 के अनुसार अनुमत सीमा को छोड़कर) में परिवर्तन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 23 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से वैध प्राधिकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। शाखाएं खोलने की व्यवस्था कर लेने के बाद बैंकों को चाहिए कि वे केंद्र के आबंटन की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर लाइसेंस जारी करने के लिए, जहां शाखा खोली जानी है उस स्थान का सही-सही पता बताते हुए निर्धारित फार्म V शहरी बैंक विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत करें जिसके क्षेत्राधिकार में वे कार्यरत हैं।
- 2.2.4.2 प्राधिकरण, जारी करने की तारीख से एक वर्ष तथा केंद्र के आबंटन की तारीख से डेढ़ वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए वैध होगा।
- 2.2.4.3 प्राधिकरण की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् साधारणतया किसी भी समय-विस्तार की मंजूरी नहीं दी जाएगी। केवल अपवादात्मक मामलों में जहां बैंक उन कारणों से शाखा नहीं खोल सकते जो उसके काबू से बाहर हों, क्षेत्रीय कार्यालय छः महीने से अनधिक समय का विस्तार मंजूर कर सकते हैं, जिसकी सूचना केंद्रीय कार्यालय को दी जाए।
- 2.2.5 भारतीय रिजर्व बैंक से वैध प्राधिकरण प्राप्त किए बिना कोई शाखा खोलना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 23 का उल्लंघन है तथा यह दंडनीय है।
- 2.2.6 यदि प्रस्तुत की गई सूचनाएं/ब्योरे गलत पाए जाते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक उस मामले में गंभीर स्ख अपनाएगा तथा बैंक 3 वर्षों की अवधि के लिए केंद्रों के आबंटन से वंचित कर दिए जाने के साथ - साथ दंडात्मक कार्रवाई का भी भागी होगा।
- 2.3 **शाखाएं खोलने की अनुमति हेतु प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश**
बैंक यह सुनिश्चित करें कि जहां शाखा खोले जाने का प्रस्ताव है उस क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवस्था स्थापित करने पर स्थानीय विकास या अन्य किसी प्राधिकरणों

द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

3. विस्तार पटलों का खोला जाना/स्तरोन्नयन

3.1 पात्रता संबंधी मानदंड तथा आवेदन प्रक्रिया:

विस्तार पटल खोले जाने की पात्रता संबंधी मानदंड तथा आवेदन प्रक्रिया पैराग्राफ 2.2.1 एवं 2.2.2 में दी गई है।

3.2 नीतिगत दृष्टिकोण

विस्तार पटल उन शैक्षणिक संस्थाओं, बड़े कार्यालयों, फैक्टरियों, और अस्पतालों में खोले जा सकते हैं जिनका संबंधित शहरी सहकारी बैंक प्रधान बैंकर है। अन्य बैंकरों से संस्था को किए गए अनुरोध पर तभी विचार किया जाए जब प्रधान बैंकर द्वारा विस्तार पटल का खोला जाना व्यावहारिक न समझा गया हो या उसकी सबसे निकटतम शाखा संबंधित संस्था से 10 किमी. दूर हो और प्रधान बैंकर की सहमति प्राप्त कर ली गई हो। शहरी सहकारी बैंक जिस संस्था में विस्तार पटल खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है उससे प्राप्त घोषणा अनुबंध IX में दिए गए प्राप्त में प्रस्तुत करें। विस्तार पटल आवासीय कॉलोनियों में भी इस बात के अधीन खोले जा सकते हैं कि वहां पहले से किसी भी बैंक की कोई शाखा या विस्तार पटल न हो। इसके अलावा स्थानीय विकास या अन्य प्राधिकारियों द्वारा उस बस्ती/कॉलोनी में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खोले जाने पर कोई प्रतिबंध न लगाया गया हो। बाजार और शॉपिंग सेंटरों आदि में विस्तार पटल नहीं खोला जाना चाहिए।

3.3 विस्तार पटल खोलने संबंधी मानदंड

विस्तार पटल खोलने के इच्छुक बैंक को निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करना होगा:

3.3.1 किसी संस्था/कार्यालय/अस्पताल या किसी आवासीय कालोनी के परिसर में केवल एक विस्तार पटल

खोलने की अनुमति है।

3.3.2 बैंक की मूल शाखा जिसके साथ प्रस्तावित विस्तार पटल संबंद्ध है, वह 10 कि.मी. के अंदर होनी चाहिए ताकि विस्तार पटल के लेनदेनों को दैनिक आधार पर मूल शाखा के लेखाओं में सुविधापूर्वक शामिल किया जा सके।

3.3.3. विस्तार पटल खोलने से पहले बैंक को विस्तार पटल खोलने की जरूरत, व्यावहारिकता तथा उसके गुण - दोषों जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार कर लेना चाहिए।

3.3.4. विस्तार पटल सिर्फ शुल्क जमा करने, बिजली, पानी, टेलीफोन आदि के बिलों के भुगतान के लिए नहीं खोले जाने चाहिए क्योंकि यह प्रमुख रूप से संबंधित संस्था की जिम्मेदारी होती है।

3.3.5 विस्तार पटलों पर दी जाने वाली सुविधाएं जमा/आहरण लेनदेन; ड्राफ्ट तथा मेल अंतरण जारी करने एवं उनके नकदीकरण; यात्री चेकों के नकदीकरण तथा बिलों की वसूली; उनके ग्राहकों की सावधि जमाराशियों पर अग्रिम (विस्तार पटल पर संबंधित अधिकारियों की मंजूरी शक्ति के भीतर) तथा प्रधान कार्यालय/आधार शाखा द्वारा मंजूर केवल 10.00 लाख रुपये की सीमा तक अन्य ऋणों (केवल व्यक्तियों के लिए) के संवितरण तक ही सीमित होनी चाहिए।

3.3.6 जिन बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति लिए बिना विस्तार पटल खोल दिए हैं उन्हें ऐसे विस्तार पटलों को बंद करना होगा और इस प्रकार खोले गए विस्तार पटलों को नियमित करने/पूर्णविकसित शाखाओं के रूप में उनका स्तरोन्नयन करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.4 विस्तार पटलों में सुरक्षित जमा लाकर सुविधा

बैंकों को सुरक्षित जमा लाकर सुविधा प्रदान करने की अनुमति गुण-दोष के आधार पर दी जाए जो

निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करते हों:

3.4.1 बैंक ने निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों का अनुपालन किया हो।

3.4.2 बैंक का निवल एनपीए उसके निवल ऋण एवं अग्रिमों के 7% से कम हो।

3.4.3 बैंक ने पिछले 3 क्रमागत वर्षों में लाभ कमाया हो।

अपने विस्तार पटलों में सुरक्षित जमा लाकर प्रदान करने के इच्छुक शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित

करें कि जिस संस्था के परिसर में विस्तार पटल है/खोले जाने के लिए प्रस्तावित है वह इस प्रकार की

सुविधा के लिए सहमत हो तथा लॉकर परिसरों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो।

3.5 विस्तार पटलों का पूर्णविकसित शाखाओं के रूप में स्तरोन्नयन

3.5.1 पात्रता संबंधी मानदंड तथा आवेदन प्रक्रिया: विस्तार पटलों के स्तरोन्नयन के लिए पात्रता संबंधी मानदंड तथा आवेदन प्रक्रिया पैराग्राफ 2.2.1 एवं 2.2.2 में निर्धारित की गई है।

3.5.2 किसी विस्तार पटल के किसी शाखा में स्तरोन्नयन को कोई शाखा खोलने के लिए केंद्र के आवंटन के समतुल्य माना जाता है। किसी शाखा के रूप में स्तरोन्नयन के लिए केवल उन्हीं विस्तार पटलों पर विचार किया जाएगा जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन दे दिया गया है या जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से खोले गए हैं।

3.5.3 विस्तार पटलों के स्तरोन्नयन की अनुमति विस्तार पटल के रूप में उनके तीन वर्ष तक कार्य कर चुकने के बाद दी जाती है।

3.5.4 इन शाखाओं के स्थलांतरण/स्थान-परिवर्तन, यदि बैंक द्वारा आवश्यक माना जाता है, की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी:

3.5.4.1 प्रस्ताव शहर /टाउन सीमा के भीतर संपरिवर्तित शाखा के स्थानांतरण/स्थान-परिवर्तन के लिए है।

3.5.4.2 विस्तार पटल के संस्थागत ग्राहकों सहित मौजूदा ग्राहकों की बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित की गई हों।

3.5.4.3 वर्तमान में जिस संस्थान में विस्तार पटल स्थित है उसमें किसी नए विस्तार पटल की अनुमति नहीं दी

जाएगी।

4. स्वचालित गणक मशीनें (एटीएम)

4.1ऑन-साइट एटीएम

जिन राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन कर लिया है उन राज्यों में पंजीकृत अथवा बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत तथा ग्रेड I तथा II के रूप में वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ऑन-साइट एटीएम स्थापित कर सकते हैं।

4.2ऑफ-साइट एटीएम

4.2.1 पात्रता संबंधी मानदंड तथा आवेदन प्रक्रिया: सुव्यवस्थित शहरी सहकारी बैंकों को ऑफसाइट एटीएम खोलने के लिए अनुमति पर वार्षिक कार्ययोजना के बाहर विचार

किया जाएगा बशर्ते ;

- i) जहां ऑफसाइट एटीएम प्रस्तावित है उस केंद्र बैंक पंजीकृत है वहां न्यूनतम स्वाधिकृत निधि प्रवेश बिंदु पूँजी मानदंड के अनस्प हो तथा सतत आधार पर 10% न्यूनतम सीआरएआर का रखा जाता हों ।
- ii) नेट एनपीए 5% से कम हो ।
- iii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सीआरआर /एसएलआर में कोई चूक न हो ।
- iv) पिछले तीन वर्षों के लिए सतत निवल लाभ हो ।
- v) निदेश मंडल में दो व्यावसायिक निर्देशकों के साथ सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हो ।
- vi) अन्य बातों के साथ-साथ विनियामक सुविधा, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू), भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय जारी अनुदेश/निदेशों के अनुसार अनुपालन के ट्रैक रिकार्ड के आधार पर हो ।

उपर्युक्त मानदंड पूर्ण करनेवाले शहरी सहकारी बैंक उनके वर्तमान परिचालन क्षेत्र में ऑफसाइट स्वचलित टेलर मशीन खोलने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आवेदन दो प्रतियों में अनुबंध III, V, VII तथा VIII के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें ।

4.2.2 इस प्रकार के आफ-साइट एटीएम पर निम्नलिखित कार्यमूलक सुविधाएं प्रदान की जाएः:

- 4.2.2.1 पीआईएन संबंधी परिवर्तन
- 4.2.2.2 चेक बुक मांग पर्ची
- 4.2.2.3 खातों का विवरण
- 4.2.2.4 बकाया संबंधी पूछताछ
- 4.2.3 अंतर - खाता अंतरण - उसी केंद्र पर उसी ग्राहक के खातों तक सीमित
- 4.2.4 बैंक "अकेले" एटीएम को शाखा एटीएम तथा साझेदारी भुगतान नेटवर्क प्रणाली (एसपीएनएस) के

साथ टेलीफोन कनेक्शन से जोड़े सकते हैं। तथापि, इस प्रकार "शाखेतर" अकेले एटीएम केंद्रों पर

सुरक्षा गार्ड के अलावा अन्य कोई व्यक्ति तैनात नहीं किया जाना चाहिए।

4.2.5 शहरी सहकारी बैंक अपने एटीएम को दूसरे बैंकों के साथ शेयर / इंटरलिंक करने के लिए स्वतंत्र हैं।

5. कार्यालयों का स्थानांतरण /विभाजन / बंद किया जाना

5.1 कार्यालयों का स्थानांतरण

5.1.1 लाइसेंसीकृत बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्रेणी I/II के रूप में वर्गीकृत अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लिए बिना अन्य बैंकों / कार्यालयों आदि की तुलना में दूरी पर ध्यान दिए बगैर प्रशासनिक कार्यालय सहित अपने व्यवसाय का स्थान उसी नगर के भीतर कहीं भी बदल सकते हैं। जहां तक शहरी/महानगरीय केंद्रों में स्थित बैंकों का संबंध है, लाइसेंसीकृत बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्रेणी I/II के रूप में वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति लिए बिना उसी मुहल्ले/नगर पालिका वार्ड के भीतर स्थलांतरण की अनुमति है।

5.1.1.2 जहां भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित न हो वहां स्थलांतरण की

तारीख से एक महीने के भीतर संलग्न **अनुबंध X** के प्रारूप में दो प्रतियों में एक रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

5.1.2 किसी अन्य मुहल्ले/नगर पालिका वार्ड में स्थानांतरण के लिए लाइसेंसीकृत बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्रेणी I/II के रूप में वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है तथा उन्हें **अनुबंध XI** में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

5.1.3 **शाखाओं का एक शहर से दूसरे शहर में स्थानांतरण:**

उसी राज्य के भीतर अपने परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत अपनी शाखाओं का स्थानांतरण एक शहर से दूसरे

शहर में करने के संबंध में शहरी सहकारी बैंकों (यूनिट बैंकों के अलावा) के अनुरोधों पर विचार किया

जाएगा बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हों:

5.1.3.1 नए केंद्र की आबादी उतनी ही या उससे कम हो जितनी मौजूदा केंद्र की है उदाहरणार्थ किसी "घ" केंद्र की शाखा का स्थानांतरण किसी दूसरे "घ" केंद्र पर ही किया जा सकता है; तथा

5.1.3.2 किसी कम बैंकिंग सुविधा वाले जिले में स्थित शाखा का स्थानांतरण किसी कम बैंकिंग सुविधा वाले जिले में ही किया जा सकता है।

5.1.3.3 लागत एवं व्यवसाय की दृष्टि से स्थानांतरण बैंक के लिए लाभप्रद होना चाहिए।

इस प्रकार के स्थानांतरण के लिए इच्छुक शहरी सहकारी बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे पूर्वानुमति के लिए

शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस संबंध में अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

5.2 एक ही क्षेत्र / नगर पालिका वार्ड के भीतर शाखाओं का विभाजन अथवा उनका आंशिक स्थानांतरण

5.2.1 स्थानाभाव के कारण अथवा बेहतर ग्राहक सेवा देने या आपने ग्राहकों की सुविधा के लिए, अन्य कार्यालयों / बैंकों से दूरी पर ध्यान दिए बगैर शाखाओं का विभाजन अथवा मूल कार्यालय / शाखा के कुछ विभागों का आंशिक स्थानांतरण इस शर्त पर कि दोनों परिसरों से एक ही तरह का व्यवसाय नहीं किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लिए बिना उसी क्षेत्र/नगरपालिका वार्ड के भीतर किसी निकटवर्ती स्थान पर किया जा सकता है।

5.2.2 स्थानांतरण की तारीख से एक माह के भीतर इस आशय की एक कार्योत्तर रिपोर्ट पैरा 5.1.1.2 में उल्लिखित प्रारूप में दो प्रतियों में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

5.3 शाखाओं तथा विस्तार पटलों का बंद किया जाना

शहरी सहकारी बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति लिए बिना

अलाभकारी शाखाओं/विस्तार पटलों को बंद करने की अनुमति दी गई है:

5.3.1 बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथातागृ) की धारा 35 के अंतर्गत किसी निदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया हो।

5.3.2 सभी संबंधित कारकों पर विचार करने के बाद बोर्ड को विस्तार पटल/शाखाएं बंद करने

- का निर्णय लेना चाहिए तथा बोर्ड की बैठक की कार्यवाहियों के आधिकारिक रेकार्ड में समुचित ढंग से उनका उल्लेख दर्ज किया जाना चाहिए।
- 5.3.3 बैंक को शाखा बंद करने से काफी समय पहले प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से शाखा के मौजूदा जमाकर्ताओं / ग्राहकों को तथा परिपत्र के माध्यम से शाखा के प्रत्येक ग्राहक को उचित सूचना देनी चाहिए।
- 5.3.4 बैंक को चाहिए कि वे बंद की गई शाखा को जारी किए गए मूल लाइसेंस / लाइसेंसों को इस विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को लौटाएं।
- 5.3.5 बैंक को पूर्व शाखा के कब्जेवाले परिसर के निपटान की सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय तथा निबंधक, सहकारी सोसायटियां को देनी चाहिए।
- 5.3.6 बैंक को शाखा/शाखाएं बंद करने के बाद उसी स्थान पर कोई विस्तार पटल नहीं खोलना चाहिए।
- 5.3.7 बैंक को कथित शाखा / शाखाएं बंद करने की सूचना उनके बंद करने की तारीख से एक महीने के भीतर बैंककारी विनियमन, (सहकारी सोसायटियां) नियमावली, 1966 के नियम 8 के अंतर्गत निर्धारित फार्म VI में बोर्ड के तत्संबंधी प्रस्ताव की प्रतियों के साथ, अलग से हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को देनी चाहिए।
- 5.3.8 बैंक को सभी संबंधित रेकार्ड सुरक्षित रखना चाहिए और निरीक्षण के दौरान रिजर्व बैंक के निरीक्षण दल को जांच के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए।

6. ग्रेड III/IV के रूप में वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंक

(स्थानांतरण, पट्टाकृत परिसर का अधिग्रहण/सुपुर्दगी, आदि)

ग्रेड III/IV के रूप में वर्गीकृत तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 11 (1) का अनुपालन नहीं कर रहे शहरी सहकारी बैंकों को इसके बाद निम्नलिखित के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/अथवा निबंधक, सहकारी सोसायटियां का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा:

- 6.1 बैंक के अपने परिसर की बिक्री
- 6.2 पट्टा/किराये पर लिए गए मौजूदा परिसर की सुपुर्दगी
- 6.3 स्वामित्व अथवा पट्टा/किराये के आधार पर लिए गए नए परिसर का अधिग्रहण
- 6.4 परिसर की बिक्री/ परिसर की सुपुर्दगी/नए परिसर के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप कार्यालयों/विभागों का स्थलांतरण
- 6.5 ऐसे बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वे अनुबंध XII के साथ संलग्न प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

7. वेतनभोगी बैंकों के लिए प्राधिकरण नीति:

7.1 वेतनभोगी बैंकों को, उनकी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नई शाखाएं खोलने के लिए वार्षिक व्यवसाय योजना (एबीपी) में शामिल नहीं किया गया है। केंद्रों के आबंटन के लाइसेंसीकृत ग्रेड I वेतनभोगी बैंकों से प्राप्त निवेदनों पर उनके द्वारा कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बाद ही विचार किया जाए। निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले वेतनभोगी बैंक शाखाएं खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं:

- 7.1.1 उनके उप-नियमों में बाहरी व्यक्तियों (गैर-कर्मचारियों) को सदस्य / नाममात्र के सदस्य के रूप में नामांकित करके उन्हें ऋण देने के बारे में उपबंध नहीं होना चाहिए।
- 7.1.2 वेतनभोगी बैंक जहां शाखा खोलना चाहता है उस जगह पर कम से कम 1000 सदस्य होने चाहिए।
- 7.1.3 उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक व्यवस्था का अनुपालन करना

चाहिए।

- 7.1.4 उसने पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष निवल लाभ कमाया हो।
- 7.1.5 अंतिम तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार उसका निवल एनपीए उसके निवल ऋण तथा अग्रिमों के 10% से कम होना चाहिए तथा उसने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान कर लिया हो।
- 7.1.6 बैंक का सीआरएआर समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीआरएआर से कम नहीं होना चाहिए।
- 7.1.7 यदि कोई बैंक अपने पंजीकरण के जिले के भीतर कोई नई शाखा खोलना चाहता है तो उसकी स्वाधिकृत निधियां जहां बैंक का गठन किया गया था उस केंद्र पर एक नई श्रेणी का बैंक (यूनिट बैंक के अलावा) खोलने के लिए अथवा जहां शाखा खोला जाना अभीष्ट है, उसके लिए **अनुबंध I** में उल्लिखित प्रवेश बिंदु पूँजी संबंधी मानदंड, इनमें से जो भी अधिक हो, के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि "ग" श्रेणी में गठित कोई वेतनभोगी बैंक अपने पंजीकरण के जिले के भीतर "ख" श्रेणी के केंद्र में कोई शाखा खोलना चाहता है तो इसकी स्वाधिकृत निधियां कम से कम "ख" श्रेणी के केंद्र के लिए निर्धारित प्रवेश बिंदु पूँजी के बराबर होनी चाहिए।
- 7.1.8 अपने पंजीकरण के जिले के बाहर लेकिन अपने पंजीकरण के राज्य के भीतर कोई शाखा खोलने के इच्छुक वेतन भोगी बैंक की स्वाधिकृत निधियां उस राज्य में उच्चतम श्रेणी के केंद्र में सामान्य श्रेणी का कोई बैंक खोलने के लिए निर्धारित प्रवेश बिंदु पूँजी संबंधी मानदंड से कम नहीं होनी चाहिए। प्रवेश बिंदु पूँजी संबंधी निर्धारित मानदंड इस परिपत्र के साथ संलग्न **अनुबंध I** में दर्शाए गए हैं।
- 7.1.9 उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले वेतनभोगी बैंक अपना शाखा विस्तार कार्यक्रम तैयार करें तथा निदेशक मंडल से अनुमोदित करवाकर उसे 8 अगस्त 2001 के हमारे परिपत्र शबैवि. बीएल.(एसईबी) सं.5क/07.01.00/2001-2002 के साथ संलग्न **अनुबंध I, II** और **III** में अपेक्षित जानकारी के साथ शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करें। आस्तियों का वर्गीकरण तथा अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान दर्शने वाला अनुबंध **III** सांविधिक लेखा-परीक्षक/सनदी लेखापाल द्वारा उसकी मुहर तथा हस्ताक्षर के साथ विधिवत प्रामाणित होना चाहिए। एक बार केंद्र आबंटित कर दिए जाने के बाद आबंटित केंद्र में परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आबंटन पत्र प्राप्त होने के बाद बैंक शाखाएं खोलने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था कर लें तथा शाखा लाइसेंस जारी करने के लिए केंद्र का आबंटन होने की तारीख से छः माह के भीतर फार्म V में आवेदन प्रस्तुत करें। बैंक यह नोट करें कि शाखाएं, शाखा लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही तथा शाखा लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर खोली जाती हैं। बैंक के नियंत्रण से परे की परिस्थितियों को छोड़कर शाखा खोलने के लिए समय बढ़ाने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. **गलत सूचना प्रस्तुत करना:** यह बात ध्यान से नोट की जाए कि यदि किसी बैंक द्वारा प्रस्तुत सूचना / ब्योरे गलत पाए जाते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले में गंभीर रूप अपनाएगा तथा संबंधित बैंक 3 वर्ष के लिए केंद्रों के आबंटन से वंचित किए जाने के साथ-साथ दंडात्मक कार्रवाई का पात्र होगा।

9. निदेशक मंडल का संकल्प

परिचालन क्षेत्र में विस्तार शाखा खोलने, विस्तार पटल खोलने, कार्यालय स्थलांतरित करने, शाखाएं विभाजित करने आदि से संबंधित शहरी सहकारी बैंकों के प्रस्ताव बैंक के निदेशक मंडल के पूर्व अनुमोदन से ही भेजे जाने चाहिए तथा इस आशय का समुचित

संकल्प परित किया जाना चाहिए। संकल्पों के लिए पूर्व /कार्योत्तर अनुमोदन हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करते समय संबंधित संकल्प उन्हें भेजा जाना चाहिए। संबंधित रेकार्ड भी सुरक्षित रखा जाए तथा निरीक्षण के दौरान संवीक्षा के लिए उसे रिजर्व बैंक के निरीक्षण दल को उपलब्ध कराया जाए।

10. शाखा बैंकिंग सांख्यिकी - तिमाही विवरणियों की प्रस्तुति - प्रारूप I तथा II में संशोधन

सांख्यिकी तथा सूचना प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, बांद्रा-कुला संकुल, मुंबई तथा शहरी बैंक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बनायी रखी जाने वाली शाखा बैंकिंग संबंधी आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली को सुव्यवस्थित एवं अद्यतन करने की दृष्टि से बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रारूप I तथा II में संशोधन कर दिया गया है ताकि उनमें प्रशासनिक दृष्टि से नियंत्रणाधीन कार्यालयों (एनएआईओ) जैसे विस्तार पटलों, सैटलाइट कार्यालयों, एटीएम आदि से जुड़े ब्योरे शामिल किए जा सकें। सभी शहरी सहकारी बैंकों द्वारा तिमाही प्रारूप I तथा II सांख्यिकी तथा सूचना प्रबंधन विभाग तथा शहरी बैंक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश 09 मई 2007 के हमारे परिपत्र शबैवि.केंका.एलएस.परि.सं.43/07.01.000/2006-07 में दिए गए हैं।

11. प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा अपने उपयोग (अर्थात् कार्यालय तथा स्टाफ के आवास के

लिए) के लिए पट्टे/किराए पर स्थान/जगह का अभिग्रहण

11.1 बैंक शाखाएं /कार्यालय खोलने के लिए जारी प्राधिकरण स्थान-विशिष्ट होते हैं क्योंकि मौजूदा अनुदेशों के अनुसार किसी विशिष्ट केंद्र पर उस स्थान के सटीक डाक पते पर जहां शाखा/कार्यालय खोला जाना है, के आधार पर बैंक की शाखा /कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकार /अनुमति जारी किया जाता है। इन परिस्थितियों में बैंकों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनकी सभी शाखाएं ऐसे परिसरों में कार्य कर रहे हैं जिनके संबंध में बैंक तथा संबंधित परिसरों के मालिकों के बीच विवाद रहित विद्यमान तथा वैध पट्टा करार मौजूद है। इसलिए, हम सूचित करते हैं कि बैंकों के प्रधान कार्यालय इस संबंध में तत्काल समीक्षा करें।

11.2 बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे तत्काल तथा किसी भी हालत में 15 अक्टूबर 2008 से पूर्व अनुबंध XIII में दिए फॉर्मेट में अपनी उन सभी शाखाओं/कार्यालयों की सूची, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक (अर्थात् भारतीय के उस क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक जिनके क्षेत्रीय निदेशकार में वह शाखा/कार्यालय कार्य कर रहा है जिसके संबंध में विवाद लंबित है) को रिपोर्ट करें जो कि ऐसे परिसर में कार्य कर रहे हैं जिसके संबंध में मालिक के साथ कोई विवाद लंबित है, ताकि भारतीय रिजर्व बैंक 'विवादास्पद' परिसर में कार्यरत शाखा /कार्यालय के लिए प्राधिकार जारी रखने के औचित्य अथवा न रखने के संबंध में निर्णय लें सके। साथ ही, बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक को उसी फॉर्मेट में तिमाही प्रगति रिपोर्ट (मार्च, जून, सितंबर तथा दिसंबर के अंत में) प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यह रिपोर्ट संबंधित तिमाही समाप्त होने के एक महीने के भीतर प्रेषित की जानी चाहिए। इस तरह की पहली तिमाही रिपोर्ट 31 दिसंबर 2008 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए होगी तथा उसे संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों को 31 जनवरी 2009 तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह नोट किया जाए कि महाराष्ट्र/गोवा में स्थित शाखाओं /कार्यालयों के मामले में यह जानकारी बैंकों द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

क्षेत्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, दूसरी मंजिल, वरली, मुंबई - 400018 को प्रस्तुत की
जाए।

अनुबंध I

प्रवेश बिंदु मानदंड

नीचे की सारणियों में क, ख, ग तथा घ अपने सामने दी गई जनसंख्या प्रदर्शित करते हैं:

केंद्र की श्रेणी	जनसंख्या
क	10 लाख से अधिक
ख	5 लाख तथा उससे अधिक लेकिन 10 लाख से कम
ग	एक लाख तथा उससे अधिक लेकिन 5 लाख से कम
घ	एक लाख से कम

I. सामान्य श्रेणी के लिए प्रवेश बिंदु मानदंड :

ब्योरे	क	ख	ग	घ
शेयर पूँजी (लाख रुपए में)	400	200	100	25
सदस्यता	3000	2000	1500	500

II. अल्प विकसित राज्यों में महिलाओं / अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों द्वारा गठित यूनिट बैंकों / बैंकों के लिए प्रवेश बिंदु पूँजी / मानदंड :

ब्योरे	क	ख	ग	घ
शेयर पूँजी (लाख रु) (ईपीएन का 50%)	200	100	50	12.50
सदस्यता	3000	2000	1500	500

III. अल्प विकसित राज्यों / उत्तर-पूर्व राज्यों / जनजातीय क्षेत्रों में गठित बैंकों के लिए प्रवेश बिंदु मानदंड :

ब्योरे	क	ख	ग	घ
शेयर पूँजी (लाख रु में) (ईपीएन का 33.33%)	133.33	66.67	33.33	8.33
सदस्यता (सामान्य सदस्यता का 66.67%)	2000	1334	1000	334

अनुबंध - II
बैंक का प्रोफाइल

1. बैंक का नाम एवं पता	
2. लाइसेंस की संख्या एवं तारीख	
3. परिचालन क्षेत्र (आर बी आई द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार)	
4. क्या बैंक में निर्वाचित निदेशक मंडल है ?	
5. यदि हाँ, तो क्या उसमें दो व्यावसायिक निदेशक हैं ?	
6. मौजूदा शाखाओं की संख्या (शाखाओं की सूची संलग्न करें), उनकी स्थिति तथा ताजा जनगणना के अनुसार उस केंद्र की जनसंख्या जहां शाखा स्थित है	
7. मौजूदा विस्तार पटलों की संख्या पतों सहित (सूची संलग्न करें)	
8. मौजूदा ऑफ साइट ए टी एम की संख्या पतों सहित (सूची संलग्न करें)	
9. क्या सी आर आर / एस एल आर में कोई चूक हुई थी / हुई है (यदि हाँ तो उसका ब्योरा और कारण प्रस्तुत करें)	

अनुबंध III

लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार वित्तीय स्थिति (अद्यतन)

बैंक का नाम :

(लाख स्थेये में)

क्रमांक	विवरण	वर्ष के मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार
1	शेयर पूँजी	
2	आरक्षित निधि	
3	जमा राशि	
4	उधार	
5	ऋण और अग्रिम	
6	बकाया ऋण और अग्रिमों में प्राथमिकता क्षेत्र की प्रतिशतता	
7	ऋण जमा अनुपात	
8	निवल लाभ	
9	सी आर ए आर	
10	कुल एन पी ए @	
11	निवल एन पी ए @	
12	आर बी आई के दिशानिर्देशों के अनुसार एन पी ए के लिए किए गए प्रावधान @	
13	नेटवर्थ	

@ सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त प्रमाणपत्र संलग्न करें।

अनुबंध IV

बैंक का नाम :

शाखाएं खोलने के लिए कार्य योजना का अनुमोदन करने वाला निदेशक मण्डल
का निर्णय तथा उन केंद्रों का विवरण जहां बैंक द्वारा शाखाएं खोलना प्रस्तावित है

पता तथा पिन कोड सहित केंद्र का नाम	केंद्र की जनसंख्या	जिले का नाम	क्या प्रस्तावित केंद्र बैंक के परिचालन क्षेत्र के भीतर है

टिप्पणी: केंद्र पर बैंकिंग सुविधाओं की पर्याप्तता सहित प्रस्तावित शाखा के लिए कारण, 12 महीनों के भीतर प्रस्तावित व्यावसायिक स्थल पर व्यवसाय की संभावनाएं (न्यूनतम व्यवसाय का आकलन जिसकी शहरी सहकारी बैंक को उम्मीद है)। प्रस्तावित शाखा के लिए लाभप्रदता अध्ययन की रिपोर्ट (दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार) जिसमें उस क्षेत्र में उपलब्ध व्यवसाय की संभावना, आय-व्यय का आकलन तथा लाभ-अलाभ की संभावित अवधि की जानकारी दी गई हो।

केंद्र तथा जिले का नाम	केंद्र की जनसंख्या	केंद्र पर शाखाओं की संख्या	लाभान्वित होने वाली अनुमानित जनसंख्या	जमाराशि			अग्रिम		
				पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष

अनुमानित आय			अनुमानित व्यय			लाभ / हानि		
पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष

बैंक का नाम :

ऑफ-साइट ए टी एम खालने की योजना का अनुमोदन करने वाला निदेशक मण्डल का
निर्णय तथा उन केंद्रों का विवरण जहां बैंक द्वारा ऑफ-साइट ए टी एम खोलना प्रस्तावित है

पता तथा पिन कोड सहित केंद्र का नाम	केंद्र की जनसंख्या	जिलेका नाम	क्या प्रस्तावित केंद्र बैंक के परिचालन क्षेत्र के भीतर है

टिप्पणी: ए टी एम की स्थापना से होने वाले लाभ को संक्षेप में दर्शाएं जिसमें लागत आदि भी शामिल हैं।

बैंक का नाम :

वार्षिक व्यवसाय योजना के साथ प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएं

1. बैंक के शाखा विस्तार कार्यक्रम के लिए मध्यकालिक नीति

बैंक तीन वर्ष के लिए शाखाओं तथा ए टी एम सहित अपने शाखा विस्तार के संबंध में प्रस्तावित मध्यकालिक नीति का व्योरा प्रस्तुत करें

2. अगले 3 वर्षों में व्यवसाय का संभावित स्तर -

क. जमाराशि

ख. अग्रिम

3. शाखा विस्तार के लिए अप्रक्षित पूँजी वृद्धि का संभावित स्तर तथा सतत आधार पर न्यूनतम 10% सी आर ए आर बनाए रखने के लिए अप्रक्षित पूँजी स्तर हासिल करने के प्रस्तावित उपाय

4. प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन

क. पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाओं की संख्या

ख. नेटवर्क कनेक्शन से युक्त शाखाओं की संख्या

ग. कोर बैंकिंग सल्यूशन (सी बी एस) से युक्त शाखाओं की संख्या

बैंक मौजूदा प्रौद्योगिकीय आधारभूत ढांचा, किए गए विभिन्न प्रौद्योगिकीय उपायों और मध्यम अवधि में अपने व्यवसायिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रस्तावित परिवर्धन / स्तरोन्नयन

5. वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उपाय

6. यह सुनिश्चित करने के लिए कि शाखाओं के विस्तार के कारण ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर कोई पुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बैंक द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम।

7. पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त एवं निबटाई गई शिकायतों का व्योरा

8. प्रस्तावित शाखा विस्तार के कारण परिचालनों में होने वाली बढ़ोत्तरी के कारण उपजे निम्नलिखित मुद्दों का समाधान करने के लिए बैंक द्वारा प्रस्तावित उपाय -

- आंतरिक नियंत्रण एवं लेखापरीक्षा
- हाउसकीपिंग तथा समाधान
- परिचालनगत जोखिम के अन्य क्षेत्र
- मानव संसाधन (एच आर) संबंधी मुद्दे

9. अन्य कोई सूचना

ऑफ साइट एटीएम के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी

1. बैंक का नाम व पता :
2. लाइसेंस सं. वं लाइसेंस का दिनांक :
3. कार्यक्षेत्र (भारिबैं द्वारा अनुमोदित अनुसार) :
4. क्या बैंक के लिए चुने गए बौर्ड निदेशक हैं ?
5. यदि, हाँ तो क्या दो वृत्तिक निदेशक हैं ?
6. वर्तमान शाखाओं की संख्या (शाखाओं की सूची अनुलग्न), उनके स्थान एवं वर्तमान जनगणना के अनुसार शाखा सिथत स्थान में जनसंख्या
7. विस्तार पटलों की संख्या (सूची अनुलग्न) एवं पते :
8. वर्तमान ऑफसाइट एटीएम की संख्या (सूची अनुलग्न) एवं पते :
9. क्या सीआरआर /एसएलआर में यदि कोई चूक हुई है (यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें तथा कारण बताएँ)

अनुबंध - VIII
ऑफ साइट एटीएम के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी

बैंक का नाम :

1. तकनीकी कार्यान्वयन

क. पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाओं की संख्या

ख. नेटवर्क कनेक्टिविटी समेत शाखाओं की संख्या

ग. कोर बैंकिंग सोल्यूशन समेत शाखाओं की संख्या

बैंक द्वारा मध्यावधि में व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले

तकनीकी उन्नयन के प्रस्तावित पहल, वर्तमान नकनीकी आधारिक संरचना पर हो

रहे कार्य, विभिन्न

तकनीकी क्षेत्रों में हो रहे प्रथम कार्यवाही आदि के संबंध में एक संक्षिप्त लेख प्रस्तुत करें।

2. कोई अन्य सूचना

अनुबंध IX

**जिस संस्था के परिसर में विस्तार पटल खोला है
उसके सक्षम अधिकारी द्वारा की जानेवाली घोषणा**

तारीख :-----

1. हमने -----

(बैंक का नाम)

(संस्था का नाम और पूर पता)

के परिसर में संस्था से संबद्ध निम्नलिखित व्यक्तियों के लाभ के लिए विस्तार पटल खोलने का अनुरोध किया है । @

* कामगार	-----)	
* स्टाफ/कर्मचारी	-----)	प्रत्येक की वास्तविक
संख्या		
* विद्यार्थी	-----)	अलग-अलग दी जाए
* शिक्षक	-----)	

@ जहाँ यह पत्र जारी करनेवाले प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक ऐसी संस्थाओं का प्रबंध किया जा रहा हों, जिनको विस्तार पटल से लाभ प्राप्त होना है तब इन संस्थाओं के नाम विस्तार पटल के प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी, प्रत्येक संस्था के साथ संबद्ध विद्यार्थियों / कर्मचारियों आदि की अलग-अलग संख्या, उनके बैंकरों के नाम और दूरी सहित अलग-अलग दर्शाई जानी चाहिए।

* (जो लागू न हो उसे काट दें)

(बैंक का नाम और स्थान)

2. (क) ----- हमारा प्रधान बैंकर है।

हम निम्नलिखित बैंकरों से भी लेनदेन करते हैं (बैंकरों के नाम और संस्था से उनकी दूरी का उल्लेख करें)

1. -----
2. -----
3. -----

(ख) -----200--. को प्रधान बैंकर और अन्य बैंकरों के पास रहनेवाले

(अद्यतन स्थिति दें)

हमारे खाते की सीमा ।

बैंक का नाम	बनाए रखे गए खाते / खातों का / के प्रकार	राशि (रु-----)
1.		
2.		
3.		
4.		

3. हम (उपर्युक्त क्रम सं.1 पर (उल्लिखित) अपनी संस्था के परिसर के भीतर विस्तार पटल के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करने का वचन देते हैं।

4. विस्तार पटल पर सुरक्षित जमा लाकर उपलब्ध कराने व बाहरी लोगों के आवागमन हेतु बैंक द्वारा अनुमति देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

5. प्रधान बैंकर को छोड़कर किसी अन्य बैंक को विस्तार पटल खोलने की अनुमति देने के कारण।
 6. क्या इस प्रयोजन के लिए ऐसा ही पत्र किसी अन्य बैंक को भी जारी किया गया है ?

(संस्था की और से सक्षम प्राधिकारी के पदनाम

का उल्लेख करते हुए उसके हस्ताक्षर तथा यदि संस्था की कोई मुहर हो तो वह भी अंकित की जाए।)

अनुबंध - X

शहरी सहकारी बैंक द्वारा कार्यालय के स्थानांतरण के ऐसे मामलों, जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है, पर रिपोर्ट

1	(i) बैंक का नाम	
	(ii) क. प्रधान कार्यालय / केंद्रीय प्रशासनिक कार्यालय का पता	
	ख. बैंक का पंजीकृत पता :	
	(iii) बैंक की कुल शाखाएं	
	(iv) कार्यालय / विभाग / विभागों के नाम जिसे / जिन्हे स्थानांतरित किया गया तथा स्थानांतरण की तारीख	
	(v) उपर्युक्त कार्यालय / विभाग का पुराना पता	
	(vi) पर्युक्त मद (iv) में अंकित कार्यालय / विभाग/ विभागों के खोलने के लिए दी गई लाइसेंस की सं. / अनुमति सं. का उल्लेख करें	लाइसेंस सं. ----- अनुमति सं. ----- दिनांक -----
	(vii) उपर्युक्त कार्यालय / विभागों का नया पता :	
	(viii) पुराने और नए पते के बीच की दूरी	
	(ix) क्या पुराने पते पर कार्य कर रहे सभी विभाग / संपूर्ण कार्यालय, नए पते पर स्थानांतरित किए गए / किया गया है / हैं या कार्यालय के एक भाग को / कुछ विभागों को स्थानांतरित किया गया / किए गए है	
	(x) स्थानांतरण के कारण	
	(xi) स्थानांतरण के बाद पुराने पते का परिसर (क्रमांक (v) कैसे उपयोग में लाया जाएगा क्या पुराना परिसर (भवन) मालिक को सौंप दिया जाएगा या बेच दिया जाएगा ?	

2.	(i) क्या शहरी / कस्बा जहाँ कार्यालय स्थापित है, अर्धशहरी या शहरी या महानगरीय है (पिछली जनगणना के अनुसार) कृपया उल्लेख करें।	
	(ii) क्या जिस शहरी / कस्बे में कार्यालय स्थानांतरित किया है, उसमें (क) अधिकांश रिहायशी मकान है (ख) अधिकांश वाणिज्यिक बस्ती है (ग) औद्योगिक क्षेत्र है	
	(iii) नए पते के 400 मीटर के भीतर क्या दूसरे शहरी सहकारी या वाणिज्य बैंकों की शाखाएं हैं ? यदि हैं, तो व्यौरा दीजिए (अर्थात् उनके नाम तथा नए पते से उनकी दूरी)	
	(iv) जिस भवन में अब कार्यालय स्थानांतरित किया गया है, क्या उस भवन में या उसके बिलकुल समीप या सामने के भवन में दूसरा कोई शहरी सहकारी या वाणिज्य बैंक भी स्थापित है ? यदि है, तो व्यौरा दीजिए ।	
3	(i) क्या नया परिसर पट्टे / किराए पर प्राप्त किया गया है या खुद बनवाया या खरीदा गया है ? कृपया उल्लेख करें।	
	(ii) (क) यदि पट्टे / किराए पर लिया है तो क्या पट्टे / किराए की शर्तें, 18 जून 1986 के हमारे परिपत्र शबैवि. सं.(डीसी)- 114ए / आर-1-85/86 में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार हैं ?	
	(ख) यदि नहीं , तो क्या अंतर है ?	
	(ग) अंतरों की अनुमति के क्या कारण हैं ?	
	(घ) क्या बैंक के बोर्ड ने इन अंतरों की स्वीकृति का प्रस्ताव मंजूर किया है ? (यदि किया है, तो प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न करें)	
	(iii) यदि नया परिसर खरीदा / स्वयं बनवाया गया है तो क्या बैंक ने निधि निवेश के लिए सहकारी समितियों के पंजीयक की अनुमति प्राप्त की थी ?	
	(यदि ऐसा है तो पंजीयक के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें) यदि नहीं, तो अनुमति प्राप्त न करने के कारण बतलाएं।	
4	बैंक के प्रधान कार्यालय / प्रशासनिक कार्यालय का स्थानांतरण (उसी मुहल्ले के भीतर)	

	यदि बैंक ने अपना प्रधान / प्रशासनिक कार्यालय स्थानांतरित किया है तो क्या बैंक का पंजीकृत पता भी बदलेगा। यदि ऐसा है, तो क्या बैंक ने, इस संदर्भ में, राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की है और क्या बैंक ने पंजीकृत पते संबंधी आवश्यक सूचना अलग से भारतीय रिजर्व बैंक के शहरी बैंक विभाग (केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय) को भेजी है ? क्या बैंक की उपविधियों में एतदर्थ संशोधन जरूरी है ? (कृपया उपविधियों की दो प्रतिलिपियां संलग्न करें)	
5	मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि, उपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।	
	दिनांक	हस्ताक्षर
	सेवामें :	
	भारतीय रिजर्व बैंक शहरी बैंक विभाग -----क्षेत्रीय कार्यालय	
	अनुलग्नकों की संख्या	
टिप्पणी : कृपया यह अनुबंध तथा आवश्यक अनुलग्नक / दस्तावेज / मानचित्र आदि भी दो प्रतियों में प्रस्तुत करें		

अनुबंध - XI

**शहरी सहकारी बैंक द्वारा भिन्न मुहल्ले / नगरपालिका वार्ड में (उसके) कार्यालय /
विभागों के स्थानांतरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के
लिए प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी**

1	(i) बैंक का नाम	
	(ii) (क) प्रधान कार्यालय / केंद्रीय प्रशासनिक कार्यालय का पता	
	(ख) बैंक का पंजीकृत पता	
	(iii) बैंक के कार्यालयों की कुल संख्या :	
	(iv) कार्यालय / विभाग / विभागों का नाम जिनका स्थानांतरण किया जाना प्रस्तावित है	
	(v) उपर्युक्त मद (iv) में उल्लिखित कार्यालय / विभाग / विभागों को खालने हेतु दी गई लाइसेंस सं. / अनुमति सं.	लाइसेंस सं. : अनुमति सं. : दिनांक :
	(vi) मद (iv) में उल्लिखित कार्यालय / विभाग / विभागों के वर्तमान स्थान का पता	
	(vii) मद (iv) में दिए गए कार्यालय / विभाग / विभागों को जहाँ स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है, वहाँ का पता	
	(viii) पुराने और नए पतों के बीच की दूरी :	
	(ix) क्या पर दिए गए मद (vi) के पते पर कार्य कर रहे बैंक के सभी विभाग / संपूर्ण कार्यालय को स्थानांतरित किएक जाने का प्रस्ताव है	हाँ / नहीं
	(x) यदि मद (ix) का जवाब नहीं है तो कृपया उल्लेख करें	
	(क) वर्तमान जगह पर कार्य कर रहे सभी विभागों / कार्यालयों के नाम वे विभाग जो प्रस्तावित स्थानांतरण के बाद वर्तमान स्थान पर कार्य कर रहेंगे	
	(xi) स्थानांतरण के कारण	
2	(i) क्या शहरी / कस्बे जहाँ प्रश्नगत कार्यालय / विभाग स्थापित है, अर्धशहरी, शहरी या महानगरीय केंद्र है ? कृपया स्पष्ट करें ।	
	(ii) क्या मुहल्ला जहाँ कार्यालय / विभाग स्थानांतरित किया जाना है वहाँ	
	(क) अधिकांश रिहायशी मकान है ?	
	(ख) अधिकांश वाणिज्यिक बस्ती है ?	
	(ग) औद्योगिक क्षेत्र है ?	

	(iii) क्या नए स्थान के 400 मीटर के भीतर, दूसरे शहरी सहकारी या वाणिज्य बैंकों की (कोई) शाखाएं हैं ? यदि ऐसा है, तो ब्योरा दीजिए (अर्थात् उनके नाम तथा नए स्थान से उनकी दूरी)	
	(iv) जिस भवन में कार्यालय / विभाग स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है, क्या उस भवन में या इसके साथवाले भवन में या सामने दूसरा कोई शहरी सहकारी या वाणिज्य बैंक भी स्थित है ? यदि हाँ ! तो ब्योरा दें । (यदि मद (iii) या (iv) का उत्तर हाँ है, तो कृपया एक मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें (i) वर्तमान और प्रस्तावित परिसर का स्थान तथा (ii) वर्तमान और प्रस्तावित परिसर के 500 मीटर के भीतर अन्य सभी बैंकों के स्थान संकेतित किए गए हों ।	
	(v)* बैंक, जिस इलाके में अपना कार्यालय स्थानांतरण के बाद स्थापित करना चाहता है, उस इलाके का शीघ्र सर्वेक्षण कर निम्न बातें दर्शाते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें :	
	(क) इलाके की जनसंख्या	
	(ख) इलाके की भौगोलिक सीमाएं	
	(ग) इलाके में स्थित शहरी सहकारी और वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या (बैंकों के नाम दें)	
@ शाखा (या शाखा के बैंकिंग विभाग) के दूसरे मुहल्ले में स्थानांतरण की दशा में ही मद सं.2(v) के अंतर्गत सूचना दी जाए। प्रशासनिक कार्यालयों के स्थानांतरण पर जानकारी न दी जाए।		

(घ)	क्षेत्र में चल रही आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप		
		(लाख स्पष्ट में)	
		जमाराशि	अग्रिम
	(ङ) शाखा के स्थानांतरण के प्रस्ताव के समय शाखा के बैंकिंग व्यवसाय का मौजूदा स्तर		
	(च) नए स्थान पर संभावित नए बैंकिंग व्यवसाय के प्रकार		
		(लाख स्पष्ट में)	
		जमाराशि	अग्रिम
	(घ) स्थानांतरण से 2 वर्ष के अंत में अपेक्षित बैंकिंग व्यवसाय की कुल मात्रा		

	पुराना कारोबार		
	नया कारोबार		
	योग		
	(vi) कृपया प्रस्तावित मुहल्ले की स्थिति / चौहड़ी दशनि वाला मानचित्र संलग्न करें		
3	(i) क्या बैंक परिसर पट्टे / किराए पर या स्वामित्व के आधार पर अधिग्रहित करने या अपना भवन निर्मित करने का प्रस्ताव करता है ?		
	(ii) खरीद / स्वयं निर्माण करने के मामले में		
	(क) क्या बैंक ने निधियों के निवेश के लिए पंजीयक, सहकारी सोसायटियों की अनुमति प्राप्त कर ली है / आवेदन किया है		
	(ख) यदि हाँ, कृपया संबंधित पत्र की सं./ दिनांक का उल्लेख करें और उसकी प्रति संलग्न करें		
	(iii)* क्या बैंक ने प्रस्तावित परिसर पर पहले ही कोई व्यय कर दिया है या कोई पुख्ता वचन दे दिया है या उसके लिए कोई समझौता किया है ?		
4.	प्रधान कार्यालय / प्रशासनिक कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण के मामले में		
	क्या बैंक का पंजीकृत पता भी बदलेगा या नहीं ?		
	क्या बैंक की उपविधियों में संशोधन की आवश्यकता होगी ?		
	(कृपया उपविधियों की दो प्रति संलग्न करें)		

	तारीख :	हस्ताक्षर ----- (बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम)
	अग्रेषित	
	भारतीय रिजर्व बैंक शहरी बैंक विभाग ----- कार्यालय	
	संलग्नक	

* परिपत्र सं.शबैवि.आरबीएल.77/जे(शिफिटंग)-85/86 दिनांक 12 फरवरी 1986 के अनुसार बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त होने तक किसी कार्यालय के

स्थानांतरण के लिए परिसर के अधिग्रहण के संबंध में कोई पुख्ता वचन नहीं देना चाहिए । इसलिए, किसी बैंक ने भूलवश कोई वचनबद्धता दे दी हो तो उसे स्वयं अपने हित में उसे निरस्त करने या निष्प्रभावी करने के लिए कदम उठाने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक इस आधार पर कि बैंक ने पहले ही परिसर का अधिग्रहण कर लिया है या उसके लिए कोई समझौता कर लिया है, इस प्रकार के मामलों में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के संबंध में किसी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

टिप्पणी: कृपया इस अनुबंध तथा आवश्यक संलग्नक / दस्तावेज / स्केच मानचित्र आदि दो प्रतियों में प्रस्तुत करें ।

अनुबंध - XII

कमजोर बैंक के रूप में वर्गीकृत अर्थात् अव्यावहार्य / पुनर्वास के अधीन / बैंककारी निनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 11(1) के उपबंधों का अनुपालन न करने वाले शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपने कार्यालयों के स्थानांतरण, मौजूदा परिसर की बिक्री / सुपुर्दगी अथवा स्वामित्व / पट्टाकृत किराए पर नए परिसर के अधिग्रहण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के लिए आवेदन ।

क	(i) बैंक का नाम			
	(ii) प्रधान कार्यालय / प्रशासनिक कार्यालय का पता			
	(iii) बैंक का पंजीकृत पता			
	(iv) कार्यालयों की कुल संख्या			
		(लाख स्थेये में)		
ख.	पिछले तीन क्रमागत वर्षों में बैंक की वित्तीय स्थिति	मार्च 200	मार्च 200	मार्च 200
	(i) शेयर पूँजी			
	(ii) आरक्षित निधि (कृपया विभिन्न निधियों का व्यौरा प्रस्तुत करें)			
	(iii) जमा राशि			
	(iv) उधार			
	(v) अतिदेय			
	(vii) ऋण और अग्रिमों की तुलना में अतिदेय राशि का प्रतिशत			
	(viii) कार्यशील पूँजी			
	(ix) लाभ (+)/ हानि (-)			
	(x) कार्यशील पूँजी की तुलना में लाभ का प्रतिशत			
	(xi) ऋण-जमा अनुपात की प्रतिशत			
	(xii) लेखा परीक्षा का वर्गीकरण			
ग.	स्वाधिकृत परिसर की बिक्री / पट्टे / किराए पर लिए गए मौजूदा परिसर की सुपुर्दगी			
	(i) बिक्री / सुपुर्दगी के लिए प्रस्तावित परिसर का पता			
	(ii) बाजार मूल्य / मौजूदा किराया / पट्टा शुल्क			
	(iii) कुल जमीनी क्षेत्र			
	(iv) कर्मचारियों की संख्या			
	(v) पट्टा / किराए पर लिए जाने वाले परिसर पट्टाकर्ताओं / मालिकों का पता			

	(vi) क्या पट्टाकृत / किराए पर लिए गए परिसर में बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों या उनके रिश्तेदारों के वित्तीय हित निहित हैं	
	(vii) यदि स्थानांतरण के बाद भी मौजूदा परिसर को रखा गया है तो उसका उपयोग	
	(viii) बिक्री / सुपुर्दगी के कारण	
घ.	स्वामित्व / पट्टा / किराए के आधार पर नए परिसर का अधिग्रहण	
	(i) परिसर का नाम एवं पता	
	(ii) मालिकों के नाम एवं पते जिनसे परिसर / संपत्ति खरीदी / पट्टा या किराए के आधार पर ली जानी है	
	(iii) पट्टा या किराए / करों आदि की अनुमानित लागत / राशि	
	(iv) वास्तविक जमीनी क्षेत्र	
	(v) क्या परिसर में किसी निदेशक / पदाधिकारी या उनके रिश्तेदारों का वित्तीय हित निहित हैं	
ड.	यदि उपर्युक्त ‘ग’ एवं ‘घ’ के अंतर्गत परिसर की बिक्री / खरीद के साथ बैंक के कार्यालय का स्थानांतरण जुड़ा हो	
	(i) परिसर का नाम एवं पता जहां से कार्यालय / विभाग का स्थानांतरण प्रस्तावित है	
	(ii) उपर्युक्त कार्यालय / विभाग खोलने के लिए लाइसेंस सं. / अनुमति	
	(iii)(क) परिसर का नाम एवं पता जहां उपर्युक्त कार्यालय / विभाग का स्थानांतरण प्रस्तावित है	
	(iv) दोनों परिसरों के बीच की दूरी	
	(i) स्थिति में तथा	
	(ii) स्थिति में	

	(v) (क) क्या वर्तमान में उपर्युक्त (1) पर दिए गए पते पर कार्यरत बैंक के सभी विभाग/ संपूर्ण कार्यालय का स्थानांतरण प्रस्तावित है	
	(ख) उपर्युक्त (iii) पर स्थित परिसर में स्थानांतरित किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या	

	(vi) यदि उपर्युक्त (v) (क) का उत्तर ‘नहीं’ हो तो कृपया निम्नलिखित का उल्लेख करें	
	(क) मौजूदा परिसर में कार्यरत सभी विभागों / कार्यालय का नाम	
	(ख) स्थानांतरण के बाद मौजूदा स्थान पर कार्य जारी रखने वाले विभाग	
	(viii) स्थानांतरण के कारण	
	(च) (i) क्या जिस शहर / कस्बे में संदर्भधीन कार्यालय / विभाग स्थित है वह अर्ध-शहरी , शहरी या महानगरीय केंद्र है ? उल्लेख करें ।	
	(ii) क्या जिस स्थान पर कार्यालय / विभाग का स्थानांतरण किया जाना है वह -	
	(क) अधिकांशतः रिहायशी	
	(ख) अधिकांशतः वाणिज्यिक	
	(ग) औद्योगिक है	
	(iii) क्या नए स्थान से 400 मीटर के दायरे में किसी दूसरे शहरी सहकारी या वाणिज्यिक बैंक की कोई शाखा / शाखाएं है ? यदि हां तो उसका ब्यौरा दें (अर्थात उनके नाम एवं नए स्थान से उनकी दूरी)	
	(iv) क्या जिस भवन में कार्यालय / विभाग का स्थानांतरण प्रस्तावित है उसमें या उसके बगल में या उसके सामने के किसी भवन में अन्य कोई शहरी सहकारी या वाणिज्यिक बैंक भी स्थित है ? यदि हां तो उसका ब्यौरा दें ।	
	(यदि मद (iii)या (v) का उत्तर ‘हां’ हो तो उसका एक स्केच मानचित्र संलग्न करें जिसमें (क) मौजूदा तथा प्रस्तावित परिसर तथा (ख) मौजूदा तथा प्रस्तावित परिसरों से 400 मीटर के दायरे में अन्य बैंकों की स्थिति प्रदर्शित की गई हो ।)	

	(v) बैंक उस क्षेत्र का एक त्वरित सर्वेक्षण करे जहां वह अपने कार्यालय को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करता है और सर्वेक्षण रिपोर्ट संलग्न करे जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हो;	
	(क) क्षेत्र की आबादी	
	(ख) क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं	
	(ग) क्षेत्र में शहरी सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या (बैंकों के नाम का उल्लेख करें)	
	(घ) क्षेत्र में की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का प्रकार	
	(ङ) उस शाखा के बैंकिंग व्यवसाय का मौजूदा स्तर जिसका स्थानांतरण प्रस्तावित है	
	(च) स्थानांतरण की तारीख से 2 वर्ष के अंत में संभावित बैंक के अनुमानित व्यवसाय का प्रकार	
	(छ) स्थानांतरण की तारीख से 2 वर्ष के अंत में संभावित बैंकिंग व्यवसाय की कुल मात्रा	
	(मद च (v) में दी गई सूचना किसी शाखा या शाखा के बैंकिंग विभागों को <u>किसी अन्य स्थान</u> पर स्थानांतरण के मामलों में ही प्रस्तुत करनी चाहिए न कि <u>प्रशासनिक कार्यालयों</u> स्थानांतरण के मामलों में)	
	(छ) कृपया प्रस्तावित स्थान की स्थिति / चौहदी प्रदर्शित करने वाला मानचित्र संलग्न करें ।	
	(ज) प्रधान कार्यालय / प्रशासनिक कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण के मामले में	
	(i) क्या बैंक के पंजीकृत कार्यालय में भी परिवर्तन होगा या नहीं ?	
	(ii) क्या बैंक की उप-विधियों में संशोधन की आवश्यकता है ?	

	(कृपया उप-विधियों की दो प्रतियां संलग्न करें ।)
--	---

दिनांक :		हस्ताक्षर
		(बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम)
अग्रेषित		
	भारतीय रिजर्व बैंक शहरी बैंक विभाग	
संलग्नक :		

टिप्पणी: दिनांक 12 फरवरी 1986 के परिपत्र सं. शबैवि.आरबीएल.77/जे (स्थानांतरण) - 85/86 के अनुसार कोई बैंक तब तक किसी अन्य भवन में स्थानांतरित होने के लिए उसे अधिग्रहित करने का कोई पुख्ता वचन नहीं देगा, जब तक उसे भारतीय रिजर्व बैंक से इस आशय का पूर्वानुमोदन प्राप्त न हो जाए। अतः यदि किसी बैंक ने भूलवश ऐसा कोई वचन दे दिया हो तो वह उसके हित में होगा कि वह उसे निरस्त या निष्प्रभावी करने के लिए कदम उठाए क्यों कि यदि बैंकों ने भवनों का अधिग्रहण या इसके पहले से ही करार किया गया हो तो भारतीय रिजर्व बैंक अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के संबंध में उनके किसी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

टिप्पणी: कृपया इस अनुबंध के साथ-साथ एतद्विषयक आवश्यक संबंधित दस्तावेज/नक्शे आदि दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

अनुबंध - XIII

बैंक का नाम :

उन शाखाओं /कार्यालयों के ब्यौरे जहां पट्टे /किराए
के आधार पर परिसर के अभिग्रहण से संबंधित विवाद है

क्र. सं.	शाखा कार्यालय का नाम	/	शाखा / कार्यालय का सही पता	जिला / राज्य	मालिक/ मालिकिन के ब्यौरे (नाम, पता, संपर्क टेलीफोन नंबर)	संक्षेप में विवाद का स्वरूप	क्या मामला न्यायालय में लंबित है; यदि है तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा	टिप्पणियां

परिशिष्ट - I

क. मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	शबैवि.केंका.एलएस.परि.सं.64/ 07.01.000/ 2009-10	04.05.201 0	वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा ऑफसाइट एटीएम खोलना - उदारीकरण
2	शबैवि.केंका.एलएस.परि.सं.66/ 07.01.000/ 2008-09	06.05.200 9	वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - परिचालन क्षेत्र का विस्तार - उदारीकरण
3	शबैवि.केंका.एलएस.परि.सं.19/ 07.01.000/ 2008-09	26.09.200 8	प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा अपने उपयोग के लिए पट्टे पर स्थान ग्रहण करना
4	शबैवि.केंका.एलएस.परि.सं.52/ 07.01.000/ 2007-08	16.06.200 8	वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाईसेंस नीति में शिथिलता
5	शबैवि.केंका.एलएस.परि.सं.46/ 07.01.000/ 2007-08	26.05.200 8	एटीएम मशीनों का संस्थापन - शहरी सहकारी बैंक
6	शबैवि.केंका.एलएस.परि.सं.10/ 07.01.000/ 2007-08	28.08.200 7	कार्यालय का स्थानांतरण
7	शबैवि.केंका.एलएस.परि.सं.01/ 07.01.000/ 2007-08	04.07.200 7	वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाईसेंस नीति में शिथिलता
8	शबैवि.केंका.एलएस.परि.सं.43/ 07.01.000/ 2006-07	09.05.200 7	शाखा बैंकिंग सांख्यिकी - तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करना - प्रोफार्मा I और II में संशोधन
9	शबैवि.केंका.एलएस.परि.सं.18/ 07.01.000/ 2006-07	13.11.200 6	वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - विस्तार पटलों को संपूर्ण शाखाओं में परिवर्तित करना - शहरी सहकारी बैंक
10	शबैवि.(पीसीबी) बीपीडी.परि.सं.50/ 07.01.000/ 2009-10	28.04.200 6	एटीएम मशीनों का संस्थापन - शहरी सहकारी बैंक
11	शबैवि.केंका.एलएस.(पीसीबी)परि.सं.49/ 07.01.000/ 2005-06	28.04.200 6	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा विस्तार पटलों पर दी जाने वाली सुवोधाएं
12	शबैवि.बीएल.सं.5/07.01.00/ 2003-04	22.07.200 3	प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा विस्तार पटलों का खोला जाना
13	शबैवि.आयो.एसयूबी सं.9 /09.69.00 / 94-95	11.06.200 1	एटीएम मशीनों (ऑफ साइट) का संस्थापन - शहरी सहकारी बैंक
14	शबैवि.सं.बीएल.(पीसीबी) 48/ 07.01.00/2000-01	26.04.200 1	उच्चाधिकारप्राप्त समिति की सिफारिशें - प्राथमिक (शहरी) सकारी बैंकों का परिचालन क्षेत्र - संशोधित नीतिगत दृष्टिकोण
15	शबैवि.सं.बीएल.(पीसीबी) 47/ 07.01.00/2000-01	26.04.200 1	उच्चाधिकारप्राप्त समिति की सिफारिशें - शाखा लाइसेंसीरण नीति की समीक्षा
16	शबैवि.सं.बीएल.(पीसीबी)46/ 07.01.00/2000-01	26.04.200 1	उच्चाधिकारप्राप्त समिति की सिफारिशें - शहरी सहकारी बैंकों द्वारा विस्तार पटलों का खोला जाना - संशोधित नीति
17	शबैवि.सं.बीएल.21/ 07.01.00/ 2000-01	16.12.200 0	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 23 - शाखाएं खोलने के लिए कार्ययोजना - आबंटित केंद्रों में परिवर्तन
18	शबैवि.सं.रिट (पीसीबी) 1/ 06.01.00/97-98	16.07.199 7	बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) के अंतर्गत विभिन्न विवरणियों की प्रस्तुति में चूक/विलंब

19	शबैवि.सं.आरबीएल.(पीसीबी)35/ 07.01.00/96-97	06.01.199 7	बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागु) की धारा 23 - शाखाएं खोलना/विस्तार पटलों का परिपूर्ण शाखाओं में स्तरोन्नयन
20	शबैवि.सं.आरबीएल.(पीसीबी)45/ 07.01.00/95-96	23.02.199 6	बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, (सहकारी सोसायटियों पर यथालागु) की धारा 23 - शाखाएं खोलना/विस्तार पटलों का परिपूर्ण शाखाओं में स्तरोन्नयन
21	शबैवि.सं.आरबीएल.(पीसीबी)37/ 07.01.00/95-96	08.01.199 6	बुराज्यीय सकारी सोसायटियां अधिनियम, 1984 के अंतर्गत परिचालन क्षेत्र का पंजीकरण के राज्य से बार तक विस्तार
22	शबैवि.सं.आरबीएल.38/ 07.01.00/95- 96	08.01.199 6	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागु) की धारा 23 - शाखाएं खोलना/विस्तार पटलों का परिपूर्ण शाखा में स्तरोन्नयन
23	शबैवि.सं.आरबीएल.(पीसीबी)19/ 07.01.00/95-96	10.10.199 5	शहरी सहकारी बैंकों का परिचालन क्षेत्र
24	शबैवि.आयो.एसयूबी सं.6 /09.69.00 / 94-95	29.03.199 5	एटीएम / बिटीएम
25	शबैवि.सं. परि (पीसीबी)13/ 07.01.00/94-95	20.08.199 4	बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागु) - धारा 23 - विस्तार पटल खोलना, कार्यालयों का स्थानांतरण, आदि
26	शबैवि.आयो.(पीसीबी)2/09.69.00/93- 94	05.07.199 4	एटीएम / बिटीएम
27	शबैवि.सं.परि (पीसीबी)82/ 07.01.00/93-94	13.06.199 4	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागु) - धारा 23 - शहरी सहकारी बैंकों द्वारा विस्तार पटलों का खोला जाना
28	शबैवि.सं. 62/ 07.01.00/ 93-94	01.03.199 4	शहरी सहकारी बैंकों का परिचालन क्षेत्र
29	शबैवि.सं.(पीसीबी)7/आरबीएल/ 07.01.00/93-94	12.08.199 3	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (पी) के साथ पठित धारा 23 - 1991-92 से 1993-94 (3 वर्ष) की अवधि के लिए महानगरीय/शहरी/अर्धशहरी केंद्रों में शाखा विस्तार कार्यक्रम
30	शबैवि.सं.(पीसीबी)84/ 07.01.00/92-93	09.06.199 3	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागु) - धारा 23 - शहरी सहकारी बैंकों द्वारा विस्तार पटल खोलना, कार्यालयों का स्थानांतरण, शाखाएं बंद करना।
31	शबैवि.सं.आरबीएल.49/जे-90-91	22.02.199 1	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (पी) के साथ पठित धारा 23 - 1991-92 से 1993-94 (3 वर्ष) की अवधि के लिए महानगरीय/शहरी/अर्ध-शहरी केंद्रों में शाखा विस्तार कार्यक्रम
32	शबैवि.सं.आरबीएल.77/जे (स्थलांतरण) - 85-86	12.02.198 6	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (पी) के साथ पठित धारा 23 - कार्यालयों आदि का स्थानांतरण आदि
33	शबैवि.सं.आरबीएल.33/जे-86/87	15.10.198 6	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (पी) के साथ पठित धारा 23 - कार्यालयों आदि का स्थानांतरण करने के लिए पूर्व अनुमोदन
34	शबैवि.सं.आरबीएल.1177/ जे-21/84-85	04.03.198 5	परिचालन क्षेत्र

35	बैंपविवि सं.शबैवि.आरबीएल. 1761/जे-82-83	14.06.1983	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (पी) के साथ पठित धारा 23
36	बैंपविवि.सं.शबैवि.आरबीएल. 985/जे-82/83	05.03.1983	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - धारा 56 (पी) के साथ पठित - धारा 23 - अप्रैल 1983 से मार्च 1985 तक की अवधि के दौरान शाखाएं खोलने के लिए प्रस्ताव
37	एसीडी.आरबीएल.901/जे.81-82	03.02.1982	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) धारा 23 - नए कार्यालय खोलना तथा मौजूदा व्यावसायिक स्थानों का स्थलांतरण
38	एसीडी.आरबीएल.896/जे.81-82	03.02.1982	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) धारा 23 - नए स्थान पर व्यवसाय करने की अनुमति - अप्रैल 1982 से मार्च 1985 तक की अवधि के लिए भावी योजनाएं
39	एसीडी.आरबीएल.378/जे.80/81	21.10.1980	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) - धारा 23 - नए स्थान पर व्यवसाय करने की अनुमति - शहरी सकारी बैंकों पर गठित समिति की सिफारिश
40	एसीडी.आरबीएल.17/बी/65-66	13.04.1966	बैंककारी विधियां (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) अधिनियम : बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत नए स्थान पर व्यवसाय करने की अनुमति के लिए आवेदन - फार्म V